

14.40 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE.
DELHI UNIVERSITY (AMEND-
MENT ORDINANCE.

AND

DELHI UNIVERSITY (AMENDMENT)
BILL

श्री कंवर लाल गुप्ता (दिल्ली-सदर) :
उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने दिल्ली यूनीवर्सिटी के बारे में जो अध्यादेश जारी किया था, मैंने उस की निन्दा का प्रस्ताव सदन के सामने रखा है। इस लिये नहीं कि जो कुछ इस विधेयक या अध्यादेश में था, मैं उस के विरोध में हूँ, वास्तव में जो कुछ विधेयक में है, मैं उस का समर्थन करता हूँ, मेरा एतराज केवल टैकनीकल है और वह यह कि जब यह सदन बैठ रहा था तो विधेयक सदन के सामने आना चाहिये था, इस प्रकार से आर्डिनेन्स ईशू करना ठीक नहीं था.....

श्री शिव चन्द्र भ्मा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पवाइन्ट आफ आर्डर है। यह दिल्ली यूनीवर्सिटी अमेण्डमेंट विधेयक, हालाँकि यह राज्य सभा से पास हो कर आया है, लेकिन दिल्ली में जो विश्वविद्यालय है, उस का नाम यूनीवर्सिटी आफ देहली है, देहली यूनीवर्सिटी नहीं है। मैं आप का ध्यान एक्ट एण्ड स्टैच्यूट्स की जो किताब है, उस के पृष्ठ 2 की तरफ खींचता चाहता हूँ, उस में लिखा है—

"The first Chancellor and the first Vice-Chancellor, and the first members of the Court, the Executive Council and the Academic Council, and all members who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, are hereby constituted a body corporate by the name of University of Delhi."

अर्थात् उस में "यूनीवर्सिटी आफ देहली" लिखा है। इस लिये यह विधेयक उस के मुताबिक नहीं है, उस में खामियाँ हैं और उन खामियों की दूर करने के बाद ही इस पर यहां बहस हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर गौर करें—दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम "यूनिवर्सिटी आफ देहली" है, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है।

THE MINISTER OF EDUCATION
AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V.

RAO) : I would only like to point out that the Act constituting the Delhi University in section 1 says:—

"This Act may be called the Delhi University Act."

MR. DEPUTY-SPEAKER : I think, it is quite in order. He has pointed out that in the Act it says very clearly :

"This Act may be called the Delhi University Act.",

and not "University of Delhi Act". In any case, it is just a clerical thing and it makes no sense.

श्री शिव चन्द्र भ्मा : लेकिन इस का फामले नाम "यूनिवर्सिटी आफ देहली" है।

श्री कंवर लाल गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का स्वागत करता हूँ कि इस विधेयक में उन्होंने ने यूनीवर्सिटी को यह अधिकार दिया है कि प्राइवेट विद्यार्थी भी यूनीवर्सिटी की परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूँ—दिल्ली में दाखले की समस्या पिछले 6-7 साल में बहुत गम्भीर रूप से चल रही है। हम इसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से तथा इन के पहले जो मंत्री थे उन से भी मिले थे। जब हम ने उन के सामने यह सवाल किया कि दिल्ली के कालेजों में दाखले के लिये आपने शर्तें क्यों लगा रखी हैं, जब कि आप यहां से 10 मील दूर चले जाइये, गाजियाबाद, सोनीपत, गुडगाँवा—कहीं भी दाखले के लिये इस प्रकार की शर्तें नहीं हैं, केवल दिल्ली के लोग ही अभागे हैं जहाँ दाखले के लिये दिल्ली यूनीवर्सिटी ने शर्तें लगा रखी हैं, तो हमें यह उत्तर दिया गया कि हायर एजुकेशन सब के लिये नहीं है—यह सिद्धान्त या फिलॉसफी हम को बताई गई—इस लिये जिन लड़कों के नम्बर कम हैं उन के लिये आगे पढ़ने की गुंजाइश नहीं है। अगर यह सिद्धान्त ठीक था, तो फिर यह बिल यहां क्यों लाया गया ? इस

का मतलब यह है कि सरकार ने अपनी हेल्थलेसनेस, अपनी मजबूरियों को मान लिया है कि वे जिन लड़कों के नम्बर कम हैं, 40 प्रतिशत से कम हैं, उन को दाखला नहीं दे सकते, उन की व्यवस्था रेग्यूलर कालिजिज में नहीं कर सकते—यह बात इस बिल से बिल्कुल स्पष्ट है। वह सिद्धान्त जो आप हमें बताया करते थे, गलत था और अपनी कमजोरी पर कवर डालने के लिये हम को बताया जाता था।

जब से यह आर्डिनेंस जारी हुआ है, दिल्ली में क्या हुआ ? दिल्ली में दुकानें खुल गई हैं, टीचिंग शाप्स खुल गई हैं, एक नहीं पचासों दुकानें गली-गली मुहल्लों-मुहल्लों में खुल गई हैं और ऐसी जगहों पर ये प्राइवेट कालिजिज बन गये जहां घोड़े बंधते थे, अस्तबल थे, जहां कारें खड़ी होती थीं। एक एक कमरों में कालिज के बोर्ड लग गये हैं और लार्ज-स्केल पर लोगों को पढ़ाया जा रहा है—एक तरह से बिजनेस चल रहा है। वहां पर किसी प्रकार की अमेनिटीज नहीं हैं, अगर किसी को शौचालय जाना है या पानी पीना है, तो उस का कोई इन्तजाम नहीं है, किसी भी प्रकार की बेसिक अमेनिटीज नहीं है। मैं आप के जरिये मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब आपने प्राइवेट छात्रों की परीक्षा की व्यवस्था को सिद्धान्त रूप में ठीक मान लिया है तो आप को इन सैकड़ों टीचिंग शाप्स के बारे में भी बिचार करना चाहिये था, जहां का वातावरण अनएकेडेमिक है पढ़ने के लायक नहीं है। जब आप इस बिल के जरिये प्राइवेट टीचिंग शाप्स को एन्क्रेज करने जा रहे हैं तो मैं आप से मांग करता हूं कि इन टीचिंग शाप्स के लिये भी कुछ रेग्यूलेशन, कुछ कानून बनाइये ताकि अस्तबलों और गैराजों में दुकानें न खुले। आप को सुन कर आश्चर्य होगा बी० ए० को पढ़ाने के लिये बी० ए० फेल बिछाधियों को रखा जा रहा है, क्या वे पढ़ाते हैं कुछ मालूम नहीं, कोई पास हो या फेल हो, उन से

कोई मतलब नहीं—इस प्रकार की स्थिति आप ने पैदा कर दी है। संविधान के अनुसार हर एक को पढ़ने की सुविधा देना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार उस जिम्मेदारी कोले ने के लिये तैयार नहीं है। सरकार ने फोर्थ प्लान में इतना पैसा दिल्ली में कालिज खोलने के लिये नहीं रखा, जितनी कि यहाँ पर आवश्यकता थी। इस लिये मैं आप के जरिए मांग करता हूं कि दिल्ली में ज्यादा कालिज खोलने के लिये ज्यादा पैसा रखना चाहिये ताकि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और ज्यादा कालिज खोल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली के लगभग 30 हजार विद्यार्थी गुडगाबा, सोनीपत, रोहतक और गाजियाबाद जैसे आसपास के शहरों में पढ़ते हैं, जिन में से लगभग 15-20 हजार लड़के सुबह जाते हैं। अगर आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुबह पांच-साढ़े पांच बजे के करीब जायें तो आप को मालूम होगा कि हजारों लड़के गाजियाबाद जाते हैं। वहां का कालिज सुबह 6 बजे लगता है और साढ़े सात-आठ बजे खतम हो जाता, तब वे लोग दिल्ली लौट कर आते हैं।.....

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (हापुड़) : हम सबूत दे सकते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्ता : सुबूत की जरूरत नहीं है, इन्हें मालूम है। जब इस तरह का इन्तजाम गाजियाबाद में हो सकता है तो यहाँ पर ऐसा इन्तजाम क्यों नहीं करते ? आप इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर न कर के, उन बच्चों का कैरियर बिगाड़ते हैं, उन की जिन्दगी को बरबाद करते हैं—मैं यह चार्ज मंत्री जी पर लगाता हूं। इस लिये मैं मांग करता हूं कि दिल्ली के बच्चों के साथ खिलवाड़ न किया जाय। अगर आप एडमिशन के लिये 40 परसेन्ट मार्क्स की शर्त रखते हैं, तो उन बच्चों के लिये जिनके मार्क्स कम हैं, आप ने क्या ग्राटरनेटिव

[श्री कंवर लाल गुप्ता]

अरेन्जमेंट किया है, क्या आप ने उन के लिये किसी प्रकार की टेकनीकल शिक्षा की व्यवस्था की है? जो आप के टेकनीकल कालिजिज खुले हुए हैं क्या उन में 40 परसेन्ट से नीचे मार्क्स वाले बच्चों को दाखला मिलता है? उन को दाखला नहीं मिलता है। दिल्ली में हर साल 9 हजार नये विद्यार्थी आते हैं, उन में से लगभग तीन-साढ़े तीन हजार विद्यार्थियों को आप हर साल सड़क पर फेंक देते हैं और उन को मजबूर करते हैं कि वे एन्टीसोशल लाइफ लीड करें, वे अपना भविष्य न बना सकें, क्योंकि यह सरकार निरुन्मी है, क्योंकि इस सरकार के हृदय में उन नौजवानों के लिये कोई रहम या हमदर्दी नहीं है। मैं मांग करता हूँ कि आप इस के बारे में सोचें और आप के जरिये से मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि उन के लिये और ज्यादा पैसा दिया जाय। दूसरी बात मैंने यह कही है कि इन टीचिंग शाप्स के लिये आप कोई कानून बनायें ताकि वे रेग्युलेट हो सकें।

तीसरी चीज—कोई यूनीफार्म कन्डीशन आफ एडमीशन होना चाहिये। मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार करेंगे कि दिल्ली में एडमीशन की जो कन्डीशन हैं—बी० एस (आनर्स) के लिये बी० काम के लिये, पास कोर्स के लिये वे दूसरे राज्यों के मुकाबले दिल्ली यूनीवर्सिटी में भ्रमल हैं। आज दिल्ली में जो कन्डीशन आपने लगाई हुई हैं, अगर उन्हीं को रखना चाहते हैं तो सारे हिन्दुस्तान के लिये भी उन को लागू करें। आज दिल्ली के विद्यार्थी को दिल्ली में दाखला नहीं मिल सकता, लेकिन गाजियाबाद में मिल सकता है, सोनीपत जाय तो वहां मिल सकता है, चण्डीगढ़ में जाय तो वहां मिल सकता है। लेकिन दिल्ली में नहीं मिल सकता है। इस तरीके से दिल्ली के बच्चों के साथ जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जाता है वह नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ एकेडेमिक प्वाइंट आफ व्यू से और अच्छा

स्टैंडर्ड मेनटेन करने की दृष्टि से भी एडमीशन का एक यूनिफार्म स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। नहीं तो अभी हंता यह है कि दिल्ली के लड़कों के नम्बर कम आते हैं, वह यू० पी० में चला जाता तो उसके मार्क्स ज्यादा होते हैं क्योंकि वहां का स्टैंडर्ड कम है। तो करीब करीब मोटे तौर पर एक स्टैंडर्ड रहे, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। जो कन्डीशन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तय की जैसे बी० ए० के लिए 40 परसेन्ट, बी०एस०सी० के लिए 45 परसेन्ट और बी काम के लिए 45 परसेन्ट और इसी तरह से एम० ए० के लिए कन्डीशन तय की है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपने इक कन्डीशन तय की और उसको जिन्होंने पूरा किया, क्या उनको आपने दाखिला दे दिया? मेरा वहना है कि इस साल भी सैकड़ों लड़कियां ऐसी हैं जिनके 40 परसेन्ट से ऊपर नम्बर हैं लेकिन उनको दाखिला नहीं मिला। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जोकि फर्स्ट डिवीजन हैं लेकिन उनको आनर्स कोर्स में दाखिला नहीं मिला। बी०एस०सी० में 50 परसेन्ट की कन्डीशन है लेकिन 58 परसेन्ट वालों को भी दाखिला नहीं मिला है। बी० काम में 45 परसेन्ट की कन्डीशन है लेकिन 55 परसेन्ट वालों को दाखिला नहीं मिला है। तो जो कन्डीशन आप ने ले डाउन की हैं उसके हिसाब से भी दाखिला नहीं मिला है। यह कितना गलत ट्रीटमेंट और कितनी गलत प्लानिंग है। दिल्ली में हर साल एडमीशन में पिछले साल की संख्या में दस परसेन्ट की इन्क्रीज होती है लेकिन उसकी कोई प्रापर प्लानिंग नहीं है। जब लड़कों पर हायर सेकेन्ड्री का रिजल्ट आता है उसके बाद प्लानिंग शुरू होती है। आप देखें कि कितने कालेज ऐसे हैं जो कि अच्छी बिल्डिंग में चल रहे हैं? हो क्या रहा कि कालेज स्कूलों की बिल्डिंग में चल रहे हैं। उनकी लेबोरेट्री, बिल्डिंग और आगे कितने कालेज होने वाले हैं उसकी कोई प्लानिंग आज आप क्यों नहीं करते हैं। कहां कहां

लड़कियों के कालेज चाहिए, इसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं है। हर साल एक सेल बना दिया जाता है, एक बर्किंग ग्रुप जोकि सारे साल चलता रहता है। मेरा कहना यह है कि बर्किंग ग्रुप जितनी रिपोर्ट तैयार करता है, कोई भी आदमी दो घंटे में बैठ करके वह सारी चीजें कर सकता है। तो मेरी मांग है कि दिल्ली में एडमिशन के लिए पहले से प्लानिंग की जाये। लेबोरेट्रीज, लाइब्रेरीज और बिल्डिंग, इन सारी चीजों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60 हजार विद्यार्थी हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी 60 हजार लड़कों पर डिस्प्लिन और क्वालिटी किस प्रकार से मेनटेन कर सकती है? नहीं कर सकती है। आज वहां की हालत अच्छी नहीं है। अभी वहां पर एलेक्शन हुए हैं। जिसको पार्टिसिपेशन कहते हैं उनके नाम से पिछले महीने कालेजेज में एलेक्शन हुए। लड़के जब में चाकू और पिस्तौल डाल कर दूसरे लड़कों को ले गए ताकि वे वोट न डालने पायें। जनरल एलेक्शन में पोलिटिकल पार्टीज जो कुछ नहीं करती हैं लेकिन दिल्ली के कालेजेज में इस तरह के व यलेन्स का एटमास्फियर क्रिएट हो रहा है। वहां का वातावरण अच्छा नहीं बन रहा है। मैं मांग करूंगा.....

SHRI C. K. BHATTACHARYYA (Rai ganj) : Get a Charan Singh here.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Our hon. Minister is there. I think he should be better than Mr. Charan Singh. He was Vice Chancellor. He was my Professor also. At that time the conditions were not so bad. But the Minister is a failure. I am surprised.

SHRI C. K. BHATTACHARYYA : Our teachers say :

"Sishyat Putrat Parajayaha"

'क्षिप्यात् पुत्रात् पराजयः'

So the Minister is successful. He is defeated by his pupil.

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) : The pupil should not insult the Guru.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I am not insulting the Guru. I am insulting the Minister. He is not competent.

तो मैं कह रहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 50 हजार लड़के हैं। मेरी मांग है कि अगर इनमें अनुशासन रखना है तो यहां पर दो यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। यहां पर हर साल तीन चार हजार लड़कों की संख्या बढ़ जाती है। इस तरह से एक यूनिवर्सिटी में इतने लड़कों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। यहां पर दिल्ली में छोटी-छोटी तीन चार और यूनिवर्सिटीज हैं जैसे नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया और मैडिकल यूनिवर्सिटी। या तो आप नेहरू यूनिवर्सिटी को बड़ा बनाइये। एक तो कैम्पस बनाने से काम नहीं चलेगा। यदि आप सही मानों में पढ़ाई का अच्छा वातावरण रखना चाहते हैं तो मैं मांग करूंगा कि आप यहां पर दो यूनिवर्सिटीज कीजिए।... (व्यथान)... डा० राव को मालूम होगा कि होस्टल एको-मोडेशन बीस परसेंट होनी चाहिए जिसका मतलब है 12 हजार लड़कों के लिए होस्टल एको-मोडेशन होनी चाहिये यूनिवर्सिटी रूल्स के हिसाब से लेकिन कालेज और यूनिवर्सिटी को मिलाकर सिर्फ 1500 सीट्स होस्टल्स में हैं। इतनी गम्भीर सिचुएशन है इसलिए मैं मांग करूंगा कि दिल्ली में होस्टल्स की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए।

आखिरी बात यह है कि जिन दो लड़कों ने एम० ए० की परीक्षा हिन्दी में दी उन्हें आपने फेल कर दिया। पहले तो कहा कि उनके पत्रों जांच नहीं जायेगे। आपने अभी पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब राज नारायण जी ने कहा कि मैं हिन्दी में आग्यू करूंगा तो वहां के मुख्य म्यायाधीश ने मेहरबानी करके, जो जज हैं हिन्दी

[श्री कंवर लाल गुप्ता]

जानते थे उनकी बेंच बना दी लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिन्होंने एम० ए० की परीक्षा हिन्दी में दी उनको पहले तो कहा गया कि पच जांचे नहीं जायेंगे और बाद में कहा कि वे फेल हैं। मेरा चार्ज है कि उनको इसलिए फेल किया गया कि उन्होंने हिन्दी में लिखा था।

एक बात मुझे यह कहनी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में नक्सलाइट्स की तादाद बढ़ रही है। वहां पर वाइस चांसलर ने स्टूडेंट्स को डील करने में जो मजबूती दिखाई, मैं उसका समर्थन करता हूँ लेकिन मैं यह स्मेल करता हूँ कि वे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। एक पार्टी और दूसरी पार्टी में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। उन्होंने जिन बच्चों को रस्टीकैट किया उस मैं कुछ पार्टी के लोगों को कम सजा दी या नहीं दी लेकिन दूसरों को ज्यादा सजा दी जोकि उनका विरोध करते हैं। मेरा चार्ज है कि फेकल्टी आफ आर्ट्स की बिल्डिंग में बरामदे के बोच में नक्सलाइट्स का लिट्टेचर बिकता रहा लेकिन वाइस चांसलर ने उसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इस तरह से उनकी हमदर्दी इनडायरेक्टली कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में है। मैं उनके इस कार्य की निन्दा करता हूँ। साथ साथ उन्होंने ने जो मजबूत कदम अठाया उसमें मैं उनके साथ हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वे इस प्रकार का कोई काम वहाँ पर यूनिवर्सिटी में न करें जिसमें कि किसी प्रकार से भी पालिटिक्स की गंध आती हो। जो रस्टीकेशन बच्चों का हुआ है, मैं माँग करूँगा कि उन बच्चों को दाखिल किया जाए। उनके खिलाफ जो कार्यवाही हुई है उसको वापिस लिया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपने इस निन्दा के प्रस्ताव को रखना चाहता हूँ। I move :

"This House disapproves of the Delhi University (Amendment) Ordinance 1970 (Ordinance No. 4 of 1970) promulgated by the President on the 20th June, 1970."

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Bhandare ... (Interruptions). There is a procedural thing, Dr. Rao, you may move the motion.

DR. V. K. R. V. RAO : I have to make a speech.

15 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER : At 3 p. m. we have got to take up private Members' business. The hon. Minister can move the motion and make his speech.

DR. V. K. R. V. RAO : I shall start the speech and then continue on the next day.

I beg to move :

"That the bill further to amend the Delhi University Act, 1922, as passed by Rajya Sabha, to be taken into consideration".

In introducing this motion for consideration, I would like to thank the gentleman who spoke before me earlier and covered many things.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Minister may continue on the next occasion.

SHRI C. K. BHATTACHARYYA : The hon. Minister, instead of saying 'gentleman' should say 'My beloved pupil'.

SHRI RANDHIR SINGH : He has ceased to be beloved, since he has insulted his guru.

DR. V. K. R. V. RAO : I shall come to the pupil stage later.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, we shall take up Bills to be introduced. Shri Nath Pai. The hon. Member is absent.

15.01 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of Article 163)

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी : मैं विधेयक को